Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय

Part (भाग)-V

Art. 124-147

स्थापना → 26 Jan. 1950

उद्घाटन → 28 Jan. 1950

भारत के प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना

Establishmen of first Supreme Court of India

↳ 1774, कलकत्ता → मुख्य न्यायाधीश

↳ एलिजा इम्पे



भारत का प्रथम संघीय न्यायालय – First Federal Court of India → 1 Oct. 1937 → दिल्ली

मुख्य न्यायाधीश ↳ मौरिस ग्वेयर

→ स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश → हीरालाल जे० कानिया
First chief justice of Independent India

→ In Present (वर्तमान) ⇒ डी० वाई० चन्द्रचूड़

→ भारत में कोई महिला मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में बनी है? ⇒ नहीं।

→ उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश (First female judge of S. Court)
↳ फातिमा बीवी

⇒ लीला सेठ ⇒ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश।

⇒ Artl. 124(1) ⇒ सर्वोच्च न्यायालय का गठन (composition of S.Court)

⇒ मुख्य न्यायाधीश + अन्य न्यायाधीश
Chief justice + other judges

⇒ मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या
No. of judges in original constitution
⇓
7 ⇒ total judges. कुल न्यायाधीश (1+7 ⇒ 8)

⇒ वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या
⇒ 33, कुल न्यायाधीश (1+33 ⇒ 34)

⇒ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार (jurisdiction) में वृद्धि ⇒ संसद द्वारा।

सर्वोच्च न्यायालय का स्थान Seat of Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, किन्तु वह अन्य किसी स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है यदि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा स्थान सुनवाई के लिए नियत करता है (अनु. 130)।

The Supreme Court is situated in Delhi but it can hear cases at any other place if the Chief Justice, with the approval of the President, appoints such a place for hearing (Article 130).

९५ → श्रीनगर ✓
→ हैदराबाद ✓

न्यायाधीशों की योग्यताएं (Qualifications of Judges)

अनु. 124 (3)

(i) वह भारत का नागरिक हो तथा



(ii) वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम-से-कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। अथवा कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता (Advocate) रह चुका हो, अथवा

(iii) राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता (Distin- guished Jurist) हो।)

मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
Appointment of chief justice & other judges ⇒ Art. 124(2)

→ मुख्य न्यायाधीश ⇒ नियुक्ति ⇒ राष्ट्रपति
↳ आधार (Ground) ⇒ वरिष्ठता (Seniority)

→ अन्य न्यायाधीश
other judges ⇒ नियुक्ति ⇒ राष्ट्रपति (लेकिन मुख्य न्यायाधीश (S. Court) से परामर्श (consult) के बाद

S. Court
⇓
Consult (परामर्श)
↳ written लिखित

मुख्य न्यायाधीश अपना परामर्श राष्ट्रपति को देने से पहले S. Court के 5 वरिष्ठतम (Most senior) न्यायाधीशों से परामर्श करता है।

99 CA संविधान संशोधन 2014

↓

कॉलेजियम व्यवस्था → समाप्त

↓

इसकी जगह न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए

NJAC → National judicial Appointment commission.

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग



ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी → S. Court ने ऐसे कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति collegium system से ही होगा।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति Appointment of acting chief Justice

अनु. 126 - जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से, अपने कर्त्तव्यों के पालन में असमर्थ हो; तो अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है।*

Article 126 - When the post of Chief Justice is vacant or the Chief Justice is unable to perform his duties due to absence or any other reason; the President may appoint any one of the other judges as Acting Chief Justice.*



तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

Appointment of Adhoc judges => Art. 127